एसिड आक्रमण

एसिड आक्रमण प्रायः प्रेम में धोखा, एकतरफा प्रेम, बदले की भावना, प्रेम में इंकार, ईर्ष्या, जमीन–जायदाय के झगड़े का परिणाम होता है। इसका शिकार प्रायः किशोरी या महिलाएँ होती हैं। आये दिन समाचार पत्रों में इस तरह की घटना प्रकाशित होती रहती है। आक्रमण करने वाला महिला का कोई करीबी, रिश्तेदार, परिचित, समुदाय का कोई सदस्य, पड़ोसी या मित्र हो सकता है। एसिड आक्रमण के परिणाम स्वरूप महिला अपनी पूरी पहचान खो देती है और वो इसका दंश जीवन पर्यन्त झेलती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड आक्रमण पर जारी दिशा–निर्देश:

लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2013 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये हैं:

1. कोई भी विक्रेता तब तक एसिड की बिक्री नहीं कर पाएगा जब तक वह अपनी बिक्री का रजिस्टर संधारित ना करता हो तथा खरीदने वाले ग्राहकों का पूरा ब्यौरा ना रखता हो।
2. कोई विक्रेता एसिड की बिक्री तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि क्रेता (खरीददार) अपना पहचान–पत्र (जो कि सरकार द्वारा निर्गत किया गया हो) विक्रेता को प्रस्तुत न करे एवं एसिड खरीदने का विशेष प्रयोजन प्रस्तुत न कर दे।
3. विक्रेता अपने स्टॉक की सुचना प्रत्येक 15 दिन पर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) को देगा। यदि विक्रेता अपने स्टॉक की सूचना नहीं देता है तो सम्बद्ध अनुमडल दंडाधिकारी (SDM) विक्रेता के स्टॉक को जब्त कर सकेगा और 50 हजार रु. तक का जुर्माना कर सकेगा।

सरकारी सहायता:

तेजाब हमले में पीड़ित व्यक्ति को घटना की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर पीड़िता की तात्कालिक चिकित्सा हेतु रु. 1,00,000/– (एक लाख) का भुगतान किया जाएगा तथा उक्त भुगतान के दो माह के अंदर शेष रु. 2,00,000/– (दो लाख) का भुगतान किया जायेगा।

सजा:

धारा 326 (क)– तेजाब फेंककर या तेजाब का सेवन कराकर स्थायी या आंशिक नुकसान पहुँचाने पर उन्हें 10 वर्ष कैद से आजीवन कारावास और जुर्माना लग सकता है।

धारा 326 (ख)– तेजाब फेंककर या तेजाब सेवन कराने का प्रयत्न कर स्थायी या आंशिक नुकसान पहुँचाने पर उन्हें 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद होगी और जुर्माना भी होगा।

साथ ही आरोपी को पीड़िता के चिकित्सा व्यय की प्रतिपुर्ति भी करनी होगी।

किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल में पीड़ीता की निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान है, अगर कोई अस्पताल ऐसा नही करता है तो धारा 166 (बी) के तहत् उस पर कार्यवाही होगी। चिकित्सा व्यय की राशि की कोई अधिकतम सीमा नही है। पीड़ीता की संपूर्ण चिकित्सा जिसमें प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है, का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से दिये जाने का प्रावधान है। चिकित्सा व्यय (प्लास्टिक सर्जरी सहित) का पूरा वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तथा यह राशि सीधे राज्य सरकार द्वारा संबंधित अस्पताल या चिकित्सा संस्थान को दी जायेगी।

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा 'स्वस्थ' परियोजना अंतर्गत जनहित में जारी
सहयोग: निर्देश, मुजफ्फरपुर, बिहार

Conceptualized, Designed & Printed By PREMIER Ph.: 93865 11055